

स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) फेज-2 के अन्तर्गत

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

जनपद बढ़ायें।

- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु चिह्नित ग्राम पंचायतों में नवाचार के माध्यम से स्वच्छता गतिविधियों को प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन करने का निर्णय लिया गया है।
- जनपद की ग्राम पंचायत में जिला स्तरीय अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित कर नोडल अधिकारी, प्रधान, सचिव व खण्ड विकास अधिकारी की उन्मुखीकरण बैठक की गयी।
- उ0प0 पंचायतीराज अधिनियम की धारा-15 व 18 अन्तर्गत ग्राम पंचायत में कचरा प्रबंधन, सफाई के सुधार एवं स्वच्छता की जिम्मेदारी व अधिकार ग्राम पंचायत का है एवं धारा 37 अन्तर्गत सेवा शुल्क लगाने का प्राविधान है।
- प्रधान, सचिव, फ्रंटलाईन वर्कर के साथ प्राथमिक बैठक एवं नोडल अधिकारी के पर्यवेक्षण में ग्राम सभा की स्वच्छता आडिट की बैठक करायी गयी जिसमें उत्सर्जित कचरे का आंकलन व वैल्य रैकिंग से स्वच्छता शुल्क का निर्धारण किया गया। बैठक में स्वच्छता शुल्क व आर्थिक दण्ड के प्राविधान का अनुमोदन।
- मेरा कूड़ा- मेरी जिम्मेदारी, मेरा गाँव मेरी स्वच्छता के साथ जनसहभागिता से स्वच्छता के लक्ष्य से, वाहन के निर्धारित रूट चार्ट/रोस्टर के अनुसार डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण का कार्य किया गया।